निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 90 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल के माह 02/2015 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09/02/2018 से 15/02/2018 तक श्री नीरज चुंगू, व. लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वभास मुखर्जी व र वदर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 03/02/2015 से 07/02/2015 तक श्री अनिल कुमार जैन, व. लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2006 से 01/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद ऊधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र बाजपुर, काशीपुर, जसपुर व गदरपुर के आं शक भाग में मार्ग/भवन/सेतु कार्य।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	-	-	71,88,858	70,10,902			-	-
2015-16	-	-	80,45,859	77,14,693			-	-
2016-17	-	-	93,34,198	91,53,990			-	-
2017-18	-	-	88,77,366				-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो॰ नि॰ व॰
प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो॰ नि॰ व॰, उत्तराखण्ड
मुख्य अ भयन्ता, लो॰ नि॰ व॰
अधीक्षण अ भयन्ता, , लो॰ नि॰ व॰
अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

माह 02/2017 व 05/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .... कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ..... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - 2 'अ'

शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: वभागीय श थलता तथा लापरवाही के कारण कालाडुंगी मे देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी० स्पान झूला पुल लागत `**280.45** लाख का अवरूद निर्माण कार्य तथा निजी सहभा गता (पीपीपी) के अंतर्गत हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग के क0 मी0 54 मे कोसी नदी पर 360 मी0 सेतु लागत `26 करोड़ का निर्माण कार्य 5 साल होने के उपरांत भी अपूर्ण व समय पर निर्माण कार्य पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना ।

जनपद नैनीताल के वधान सभा क्षेत्र कालाडुंगी मे देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी० स्पान झूला पुल निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 2496/II-2-16/(47प्रा2012/0आ0 दिनांक 26-09-2016 द्वारा कुल लागत `280.45 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (हल्द्वानी), लो.नि. व. नैनीताल द्वारा पत्रांकः//402 (2) /यातायातहल्द्वानी /2015 दिनांकः 16/12/2016 के माध्यम से कुल लागत `280.45 लाख की प्रदान की थी।

उपरोक्त कार्य हेतु अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या / 42एसई 2-दिनांक 02/01/2017 अंतर्गत कुल लागत `271.30 लाख मेसर्स कुन्दन संह प्रेम संह जमनल, ऋ षकेश के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 02/01/2017 व कार्य समाप्ति की निर्धारित ति थ 01/01/2018 थी। कार्य की वत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कोई व्यय नहीं कया गया है और कार्य अभी तक 03/2018 अपूर्ण व अवरूद्ध है।

कार्य के अनुबन्ध, निरीक्षण पत्रावली व कार्यवृत के अवलोकन में पाया गया क उक्त कार्य की समापन की ति थ बीत चुकी है व अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा पुल निर्माण स्थल के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया है क निर्माण स्थल पर एबटमेंट एवं एंकर टावर की वुनियाद हेतु आं शक रूप से खुदाई करने के पशचात कुछ भी कार्य ठेकेदार दुबारा नहीं कया गया है। इस सम्बंध मे कार्यालय के पत्रांक 3947/403सी0–2/2017 दिनांक 28.10.2017 द्वारा खण्ड को निर्देश दिये थे क लगभग माह व्यतीत होने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा सुचारु रूप से 10 कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही तथा तथ्य को कार्यालय के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण 2 माह 02/2018 बीत जाने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कया गया था, जो इस कार्य के प्रति यह दर्शाता है क खण्ड द्वारा इस कार्य के प्रति लापरवाही बरती है जिस कारण से समय पर निर्माण कार्य पर वांछित

उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है। आति थ पर इस कार्य पर वास्त वक भौतिक व वत्तीय उपलब्धि कुछ भी नहीं है तथा अनुबन्ध के क्लाज (56.2a) if the contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current program and the stoppage has not been authorized by the engineer के अनुसार कार्य बन्द रहने पर अनुबन्ध के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई थी/है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक निजी सहभा गता (पीपीपी) के अंतर्गत हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग के क0 मी0 54 मे कोसी नदी पर 360 मी0 सेतु का निर्माण कार्य (6/**SE-2/11-2012** दिनांक 21-10-2011 कार्य की लागत `26 करोड़ व समाप्ती की ति थ 7/08/2013 जो आति थ (1/2018) तक अपूर्ण है) के निरक्षण पत्रावली के अनुसार 19-12-2017 पर व शश्ठा कन्स्ट्रकशन, प्रा0 ल0, रामनगर के प्रतिनि ध को अवशेष कार्य हेतु पुनः नये सरे से समय सारणी प्रस्तुत कये जाने व कार्य की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गए थे ले कन इस कार्य पर भी 16-01-2018 की समीक्षा बैठक के अनुसार कोई प्रगति अथवा कार्य नहीं हुआ है तथा यह कार्य भी वभागीय श थलता तथा लापरवाही के कारण कार्य समाप्ति के 5 साल होने के उपरांत भी अपूर्ण है इसके साथ साथ कार्य पर समय वृद् ध प्रदान की गयी अथवा नहीं, के भी अ भलेख कार्यालय मे उपलब्द/सुनिश्चित नहीं कया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क खण्ड को कालाडुंगी में देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी० स्पान झूला पुल निर्माण कार्य के अनुबन्ध को निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कये जाने के निर्देश व समीक्षा बैठक में लोक निजी सहभा गता (पीपीपी) के अंतर्गत हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग के क0 मी0 54 में कोसी नदी पर 360 मी0 सेतु का निर्माण कार्य की प्रगति हेतु कार्यवाही की जा रही है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यो क अनुबन्ध के क्लाज (56.2a) if the contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current program and the stoppage has not been authorized by the engineer के अनुसार कार्य बन्द रहने पर अनुबन्ध के निस्तारण की कार्यवाही 2 साल गुज़र जाने के उपरांत भी सुनिश्चित नहीं की गई है, साथ ही एसओआर के अनुसार आति थ में यह कार्य पूरा भी नहीं कया जा सकता है जिससे अनावश्यक ही राज्य सरकार पर निर्माण कार्य पर अ धक वत्तीय भार आयेगा।

अत: वभागीय श थलता तथा लापरवाही के कारण कालाडुंगी में देचोरी व मूसाबंगर के मध्य बौर नदी के ऊपर 54 मी० स्पान झूला पुल लागत `280.45 लाख का अवरूद्ध निर्माण कार्य तथा निजी सहभा गता (पीपीपी) के अंतर्गत हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग के क0 मी0 54 में कोसी नदी पर 360 मी0 सेतु लागत `26 करोड़ का निर्माण कार्य समाप्ति के 5 साल होने के उपरांत भी अपूर्ण व समय पर निर्माण कार्य पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 : निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न कए जाने के कारण उददेशों की पूर्ति न होना।

प्रमुख स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्णय लया गया था क प्राथ मकता के आधार पर उत्तराखंड के मार्गों पर प्लांटेशन का कार्य कया जाये जिस के लए प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा खंडों से अनुरोध कया गया था। उनके क्षेत्र के मार्गों को प्राथ मकता के आधार पर चन्हित कर प्रस्ताव भेजे (2014)। इस क्रम में प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा नव निर्माण/ पुन: निर्माण एवं सुधारीकरण के कार्यो हेतु पथ वृक्षारोपण हेतु मानक के अनुसार `1.20 लाख / क0मी0 की दर 12-05-2015 से आगणन में गठित कए जाने हेतु निर्धरित कए थे।

कार्यालय में उपलब्द्ध वर्ष 2016-17 व 2017-18 के स्वीकृत आगणन में यह पाया गया क खण्डों द्वारा आगणन मे निर्धारित मानक अनुसार कोई प्रावधान पथ वृक्षारोपण के लए नहीं रखा गया जब क उपलब्द अ भलेखो के अनुसार इन दो वत्तीय वर्षों में नव निर्माण मार्ग के कार्य कुल 1011.32 क0मी0 में ` 1.20 लाख / क0मी0 की दर अनुसार `1213.58 लाख का प्रावधान वस्तृत आगणन में रखा जाना चाहये था, जब क वृत कार्यालय द्वारा खण्डों को इस सम्बंध में कोई दिशा निर्देश भी नहीं दिये गये थे।

इस संबंध में वृत कार्यालय द्वारा अवगत कराया क वन भू म हस्तांतरण में अ धक समय लगने के कारण उपलब्द धनरा श से स्वीकृत लम्बाई में मार्ग निर्माण सम्भव न होने के कारण आं शक प्रा व धक स्वीकृति दी गयी है तथा स्वीकृत लम्बाई के निर्माण हेतु पुनरी क्षत आगणन शासन को प्रे षत कये है। पुनरी क्षत स्वीकृति प्राप्त होने पर पथ वृक्षारोपण का प्रावधान आगणन में रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त मैदानी भागों में नव निर्माण के मार्ग में की सी मत चौडाई होने के कारण पथ वृक्षारोपण कया जाना सम्भव नहीं है। कार्यालय द्वारा उक्त कार्यों की पुनरी क्षत आगणन शासन को प्रे षत कये जाने के साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं कये और न ही उपलब्द्ध कराये गये अ भलेख व पत्रावली के अनुसार उनके क्षेत्र के मार्गों को प्राथ मकता के आधार पर चन्हित कर प्रस्ताव प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून को भेजे थे। अत: मुख्य स चव तथा प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग देहारादून के द्वारा दिये गए निर्देशों का उसके साथ कोई मेल नहीं है।

अत: नव निर्माण/ पुन: निर्माण एवं सुधारीकरण के स्वीकृत कार्यों पर निर्धारित मानक के अनुसार एवं उच्चा धकारियों के निर्देशों के अनुरूप पौधा रोपण हेतु प्रावधान न रखे जाने व नव नि र्मत मार्गों पर पौधा रोपण न कए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता हैं।

भाग 2 ब

प्रस्तर **3** : कार्य निरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः 4188/III(2)14-51(सामान्य)/13 दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार अधीक्षण अ भयन्ता को 2 करोड़ से अ धक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण कया जाना था तथा निरीक्षण जांच आख्या प्रमुख अ भयन्ता, लो.नि. व. के माध्यम से शासन को प्रे षत कया जाना था।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल के अ भलेखों की नमूना जांच (माह 02/2018) में देखा गया क वृत्त कार्यालय के अनुबंध पंजिका वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक कुल 32 कार्य का अनुबंध 2.0 करोड़ से ऊपर की लागत का गठित कया गया था, उक्त शासनादेश के अनुसार 2 करोड़ से अ धक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा निरीक्षण कया जाना था परन्तु वृत्त कार्यालय के निरीक्षण पत्राव लयों के अवलोकन में पाया गया क 2 करोड़ से अ धक लागत के कार्यों का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण नहीं कया जा रहा था तथा कई कार्यों का निरीक्षण एक बार भी नहीं कया गया था। कार्य की निरीक्षण आख्या भी प्रे षत नहीं की गयी थी।

उक्त के सन्दर्भ में इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क शासन द्वारा निर्धारित वा षक गोपनीय आख्या प्रपत्र में 1 करोड़ तक के कार्यों की जांच वर्ष में एक बार कये जाने के निर्देश है तदनुरूप ही कार्यवाही की जा रही है, भ वष्य में अं कत शासनादेशानुसार अ ग्रम कार्यवाही की जायेगी। इकाई के उत्तर से स्वतः लेखापरीक्षा आप त्त की पुष्टि होती है क्यों क उक्त शासनादेश के अनुसार अधीक्षण अ भयन्ता को 2 करोड़ से अ धक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण कया जाना था तथा निरीक्षण जांच आख्या प्रमुख अ भयन्ता, लो.नि. व. के माध्यम से शासन को प्रे षत की जानी थी परन्तु उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया जा रहा था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: एस०बी०डी० व जी०पी०डबल्यू० 9 मे व र्णत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित न कये जाने से कारण ठेकेदार को `12.57 लाख का अनु चत लाभ

एस० बी० डी० के क्लॉज़ 46 के अनुसार निर्धरित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से अनुबन्ध रा श पर देय 0.0005 प्रतिदिन ल मटेड to maximum 10% ऑफ अनुबन्ध रा श के हिसाब से एल० डी० (liquidated damages) की कटोती कया जाना प्रावधनित है साथ ही ठेकेदार को एस० बी० डी० के क्लॉज़ 47 के अनुसार अगर ठेकेदार समय से पहले कार्य समाप्त करता है तो उससे बोनस के रूप मे `1000/ प्रति दिन के हिसाब से भुगतान कया जायेगा। वही जी०पी०डबल्यू० 9 के **Clause No.** 4- **Compensation for Delay** के अनुसार- If the contractor fails to maintain the required progress or to complete the work and clear the site on or before the Date of completion or extended date of completion, he shall, without prejudice to any right or remedy available under the law to the government on account of such breach pay as agreed compensation the amount calculated at the rates stipulated below if that the progress remains below that specified in agreement or that the work remains incomplete. Then as पर (**Clause No.** 4.5): If the whole work upto the forth milestone is not completed within the scheduled or rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from any money due to him by the Government under this contract or any other account what so ever. Otherwise the same will be recoverable as an arrear of land revenue through collector.

कार्यालय के समय वृद् ध अ भलेखों में पाया गया क उपरोक्त व र्णत प्रावधानों का नियम अनुसार पालन न कये जाने के कारण ठेकेदारों को बिलम्ब हेतु उक्त प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड/एलडी न लगा कर कार्यालय द्वारा ठेकेदारों को अनु चत लाभ पहुचाया गया है इस के अतिरिक्त अ भलेखों / पत्रावली में यह भी पाया क ठेकेदार द्वारा एस0बी0डी0 के क्लॉज़ 25.3 के अनुसार व जीपीडबल्यू 9 के क्लाज 4 के अनुसार अधूरा कार्य होने पर समय वृद् ध हेतु कोई आवेदन प्रत्येक माइल स्टोन पूरा होने पर नहीं दिया गया था। यह भी आगे पाया गया क ठेकेदारों द्वारा अ धकांश कार्यों में समय वृद् ध आवेदन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त खण्डों को दी गयी है जो नियम अनुसार गलत है और उपरोक्त व र्णत प्रावधानों का साफ साफ उल्लंघन है। संलग्नक में दिये गये कार्यो की लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच की और पाया क समय वृद् ध प्रकरण में ठेकेदारों के देयकों से मात्र 0.10% से 1% अर्थदण्ड के रूप में सस्तुति कार्यालय द्वारा प्रधान की है जब क उक्त की सस्तुति एस०बी०डी० व जी०पी०डबल्यू० 9 के प्रावधानों के अनुसार कया जाना चाहिए था।

अतः ठेकेदार को उपरोक्त व र्णत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर `12.57 लाख का अनु चत लाभ पहुचाया गया।

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया क अर्थ दण्ड की संस्तुति खण्डो द्वारा वलम्ब के कारणों की परीक्षण करने के उपरांत सामान्य अर्थ दण्ड लगाया जाता है भ वष्य में अर्थ दण्ड एस०बी०डी० व जी०पी०डबल्यू० 9 के प्रावधानों के अनुसार लगाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क उपरोक्त प्रावधानों को समय वृद् ध व अर्थदण्ड के प्रकरणों में अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया जा रहा है।

अतः उपरोक्त व र्णत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित न कये जाने से ठेकेदार को `12.57 लाख का अनु चत लाभ पहुचाया जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

सलग्नक -समय वृद् ध कार्यो/प्रकरण की नमूना जांच ववरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	खण्ड	समय वृद् ध)कुल दिन(	कुल देय अनुबन्ध के अनुसार) ` मे(	कुल कटोती जो की गयी)` मे(
1	जनपद नैनीताल के वधानसभा क्षेत्र लालकुवा के अंतर्गत लालकुवा में बरेली रोड के आंतरिक मार्ग का इंनटरलॉ कंग टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण	/12**SE/02/16** दिनांक 1-10-15 निर्माण खंड, लोक निर्माण हल्द्वानी	**99**दिन	7**,23,883**	14623
2	पूर्व नि र्मत क्षतिग्रस्त नालो की मरम्मत व नालों का पुन निर्माण :	/179ईई 3/3/2016 प्रांतीय खंड नैनीताल	**248**दिन	**96,000**	2888
3	जिला योजना के अंतर्गत ग्राम हेड़ा खान मंदिर से प्युरों की और सी सी मार्ग व दीवार का निर्माण	**/88AE 16-10-15** प्रांतीय खंड नैनीताल	**269**दिन	**68,500**	6847
4	जिला योजना के अंतर्गत ग्राम हेड़ाखान सी सी मार्ग व दीवार का निर्माण	**/85EE 15-10-15** प्रांतीय खंड नैनीताल	**267**दिन	**1,39,914**	6996
5	अपर कालाढूंगी रोड में मोहन को चोरहा से गोल घर तक मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य (0.150 कमी.)	**/06**ईई 06-04-16	2**48** दिन	**2,67,015**	6**675**
				`12**,95,312**	**`38,029**

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
101/2014-15	-	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री बी.एन. तिवारी	अधीक्षण अ भयन्ता	06/07/13 से 16/02/15
(ii)	श्री के.पी. जोशी	अधीक्षण अ भयन्ता	16/02/15 से 09/03/15 तक
(iii)	श्री जी.एस. पांगती	अधीक्षण अ भयन्ता	09/03/15 से 24/04/2015 तक
(iv)	श्री डी.एस. बनियाल	अधीक्षण अ भयन्ता	24/04/2015 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

N.A.

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, द् वतीय वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II